

F.No-21/6/2017-CS.I (P)
Government of India
Ministry of Personnel, Public Grievances & Pensions
(Department of Personnel & Training)

2nd Floor, A Wing, Lok Nayak Bhawan,
Khan Market, New Delhi
Dated 28th June, 2018


OFFICE MEMORANDUM

Subject:-Filling up the post of Senior Joint Commissioner in the Ministry of Water Resources, River Development & Ganga Rejuvenation on deputation basis.

A copy of vacancy circular received from Ministry of Water Resources, River Development & Ganga Rejuvenation vide their O.M.No.A.12025/1/2016-Admn dated 20.06.2018 along with its enclosures on the above mentioned is circulated for information of all CSS officers.

2. It may be noted that cadre clearance from CS-I Division will be required in case of Under Secretary and above level officers of CSS applying for deputation.
3. In case of any further clarifications, applicants are advised to contact concerned Ministry/Department.

Encls: As above.


(K. Srinivasan)
Under Secretary to the Government of India
Tel : 24642705

To

All Ministries/Departments (through website of DoP&T)

No.A 12070/12/2015-Admin
Government of India
Ministry of Water Resources, River Development &
Ganga Rejuvenation
(ISO 9001:2008 Certified)

Shram Shakti Bhawan, Rafi Marg
New Delhi, dated 20th June, 2017

To

1. The Chief Secretary to all State Governments
2. The Secretary, Irrigation/ Agricultural Departments of State Governments
3. The Public Sector Undertaking/ Agricultural Universities/ Recognized Research Institutes/ Semi-Government/ Autonomous Statutory Organizations

Subject: Filling up the post of Senior Joint Commissioner (Agricultural Discipline) in the Ministry of Water Resources, River Development & Ganga Rejuvenation on deputation (including short term contract) basis

Sir,

I am directed to say that one post of Senior Joint Commissioner (Agricultural Discipline) of the GCS Group 'A' Gazetted (Non-Ministerial) in the level 13 [pre-revised pay scale PB-4 of Rs. 37400-87000/- + Rs. 8700/- (Grade Pay)] in the Ministry of Water Resources, River Development & Ganga Rejuvenation, New Delhi is proposed to be filled up by deputation (including short term contract) from amongst officers of the Central Government or State Governments of Union Territories or Public Sector Undertakings or Agricultural Universities or Recognized Research Institutes or Semi-Government or Statutory or Autonomous Organizations:-

- (a) (i) holding analogous post on regular basis in the parent cadre or Department; or
- (ii) with 5 years' service in the grade rendered after appointment thereto on a regular basis in Level 12 [pre-revised Pay Band-3 Rs. 15500-39100/- + 7600/- (Grade Pay)] or equivalent in the parent cadre or department; or
- (iii) with 10 years' service in the grade rendered after appointment thereto on a regular basis in Level 11 [pre-revised Pay Band-3, Rs. 15600-39100/- + 6600/- (Grade Pay)] or equivalent in the parent cadre or department; and

(b) Possessing the following educational qualifications and experience :-

- (i) Degree in Agricultural Engineering or Soil and Water Conservation Engineering or Post Graduate Degree in Agronomy or Soil Science from a recognized University; and
- (ii) 12 years' experience in Water Conservation and management of irrigated agriculture and on-farm development work in the irrigation or agricultural department of a State Government or Central Government or in any recognized agricultural University or in any agricultural training or research or management Institute.

Handwritten notes:
27/6/17
M. Katar
US(A)
27/6/17
27/6/17

- Note 1: Period of deputation (including short-term contract) in another ex-grade post held immediately preceding this appointment in the same or some other organization or Department of Central Government shall ordinarily not to exceed five (5) years.
- Note 2: The maximum age limit for appointment by deputation (including short-term contract) shall not be exceeding 55 years as on the closing date of receipt of applications.
- Note 3: For the purpose of appointment on deputation basis, the service rendered on a regular basis by an officer prior to 31 January, 2016 or the date from which the revised pay structure based on the recommendations of the Seventh Central Pay Commission has been extended, shall be deemed to be service rendered in the corresponding grade pay or pay scale extended based on the recommendations of the said Pay Commission except where there has been a merger of more than one pre-revised scale of pay into one grade with a common grade pay or pay scale and where this benefit will extend only for the post(s) for which that grade pay or pay scale is the normal replacement grade without any upgradation.

2. The officer selected will have the option to draw his/her grade pay plus deputation (deity) allowance or his pay fixed in the scale of pay of the deputation post subject to the restrictions contained in the DoPT O.M. No. 6/8/2009-Est(Pay II) dated 17.6.2010 as amended from time to time.

3. It is requested that wide circulation may be given to the post and applications of eligible officers, in triplicate, duly signed by the officer concerned in the enclosed proforma (Annexure Part-I) with Part-II duly filled by sponsoring authority along with the requisite certificate/ documents may please be forwarded to the undersigned within 60 days of publication of the advertisement in the Employment News. Applications received after the prescribed date or without the desired certificate/ documents will not be considered.

Encl: As above

Yours faithfully,


(A.K. Kaushik)

Under Secretary to the Govt. of India
Tel. No. 23738126

Copy forwarded for similar action to :-

1. All Ministries/ Departments of the Government of India
2. All attached and subordinate offices of Ministry of Water Resources, RD & GR
3. All Commissioners/ Senior Joint Commissioners/ Deputy Commissioners in the Ministry of Water Resources, RD & GR
4. ✓ Director (CS), DoPT, Lok Nayak Bhawan, Khan Market, New Delhi - with the request to upload this circular on DoPT's website for wider circular.
5. NIC Cell, M/o WR, RD & GR - for uploading on the Ministry's website.

BIO-DATA/ CURRICULUM VITAE PROFORMA

1.	Name and Address (in Block Letters)	
2.	Date of Birth (in Christian Era)	
3. i)	Date of entry into service	
ii)	Date of retirement under Central/ State Government Rules	
4.	Educational Qualifications	
5.	Whether Educational and other Qualifications required for the post are satisfied (if any qualification has been treated as equivalent to the one prescribed in the Rules, state the authority for the same)	
	Qualifications/ Experience required as mentioned in the advertisement/ vacancy circular	Qualification/ experience possessed by the officer
	Essential	Essential
	A) Qualification	A) Qualification
	B) Experience	B) Experience
	Desirable	Desirable
	A) Qualification	A) Qualification
	B) Experience	B) Experience
	5.1 Note: This column needs to be amplified to indicate Essential and Desirable Qualifications as mentioned in the RRs by the Administrative Ministry/ Department/ Office at the time of issue of Circular and issue of Advertisement in the Employment News.	
	5.2 In the case of Degree and Post Graduate Qualifications Elective/ main subjects and subsidiary subjects may be indicated by the candidate.	
6.	Please state clearly whether in the light of entries made by you above, you meet the requirement of the post	
	6.1 Note: Borrowing Departments are to provide their specific comments/ views confirming the relevant Essential Qualification/ Work experience possessed by the Candidate (as indicated in the Bio-data) with reference to the post applied	

7. Details of employment in chronological order. Enclose a separate sheet duly authenticated by your signature if the space below is insufficient

Office/ Institution	Post held on regular basis	From	To	Pay Band and Grade Pay/ Pay Scale of the post held on regular basis	Nature of duties (in detail) highlighting experience required for the post applied for

- * Important: Pay-Band and Grade Pay granted under ACP/ MACP are personal to the officer and therefore, should not be mentioned. Only Pay Band and Grade Pay/ Pay Scale of the post held on regular basis to be mentioned. Details of ACP/ MACP with present Pay Band and Grade Pay where such benefits have been drawn by the Candidate, may be indicated as below:-

Office/ Institution	Pay, Pay Band and Grade Pay drawn under ACP/ MACP Scheme	From	To

8. Nature of present employment i.e., Ad-hoc or temporary or Quasi-Permanent or permanent			
9. In case the present employment is neither deputation/ contract basis please state:-			
a) The date of initial appointment	b) Period of appointment on deputation/ contract	c) Name of the parent office/ organization to which the applicant belongs	d) Name of the post and Pay of the substantive capacity held in the parent organization

9.1 Note: In case of Officers already on deputation, the applications of such officers should be forwarded by the parent cadre/ Department along with Cadre Clearance, Vigilance Clearance and Integrity Certificate.

9.2 Note: Information under Column 9 (c) & (d) above must be given in all cases where a person is holding a post on deputation outside the cadre/ organization but still maintaining a

ier in his parent cadre/organization.

10. If any post held on Deputation in the past by applicant, date of return from the last deputation and other details

11. Additional details about present employment:

Please state whether working under (indicate the name of your employer against the relevant column)

- a) Central Govt.
- b) State Govt
- c) Autonomous Organization
- d) Government Undertaking
- e) Universities
- f) Others

12. Please state whether you are working in the same Department and are in the feeder grade or feeder to feeder grade.

13. Are you in the Revised Scale of Pay? If yes, give the date from which the revision took place and also indicate the pre-revised scale

14. Total emoluments per month now drawn

Basic Pay in the PB

Grade Pay

Total Emoluments

15. In case the applicant belongs to an Organization which is not following the Central Government Pay-scales, the latest salary slip issued by the Organization showing the following details may be enclosed

Basic Pay with Scale of Pay and rate of increment

Dearness Pay/ Interim relief/ other Allowances etc. (with break-up details)

Total Emoluments

16 A. Additional information, if any, relevant to the post you applied for in support of your suitability for the post.

This among other things may provide information with regard to (i) additional academic qualifications (ii) professional

training and (ii) work experience over and above prescribed in the Vacancy Circular/ Advertisement)

(Note: Enclose a separate sheet, if the space is insufficient)

16.B Achievements

The candidates are requested to indicate information with regard to :-

- (i) Research publications and reports and special projects
- (ii) Awards/ Scholarships/ Official Appreciation
- (iii) Affiliation with the professional bodies/ institutions/ societies and;
- (iv) Patents registered in own name or achieved for the organization
- (v) Any research/ innovative measure involving official recognition

(Note: Enclose a separate sheet if the space is insufficient)

17. Please state whether you are applying for deputation (STC)/ Absorption/ Re-employment basis. #

(Officers under Central/ State Governments are only eligible for "Absorption". Candidates of non-Government Organizations are eligible only for Short Term Contract)

(The option of "STC"/ "Absorption"/ "Re-employment" are available only if the vacancy circular specially mentioned recruitment by "STC" or "Absorption" or "Re-employment")

18. Whether belongs to SC/ ST

I have carefully gone through the vacancy circular/ advertisement and I am well aware that the information furnished in the Curriculum Vitae duly supported by documents in respect of Essential Qualification/ Work Experience submitted by me will also be assessed by the Selection Committee at the time of selection for the post. The information/ details provided by me are correct and true to the best of my knowledge and no material fact having a bearing on my selection has been suppressed/ withheld.

Signature of the candidate
Address _____

Date _____

Part II

Certification by the Employer/ Cadre Controlling Authority

The information/ details provided in the above application by the applicant are true and correct as per the facts available on records. He/ she possesses educational and experience mentioned in the vacancy circular. If selected, he/ she will be relieved immediately.

2. Also certified that.

i) There is no vigilance or disciplinary case pending/ contemplated against Shri/ Smt.

ii) His/ her integrity is certified.

iii) His/ her CR Dossier in original is enclosed/ photocopies of the ACRs for the last 5 years duly attested by an officer of the rank of Under Secretary of the Govt. of India or above are enclosed.

iv) No major/ minor penalty has been imposed on him/ her during the last 10 years Or A list of major/ minor penalties imposed on him/ her during the last 10 years is enclosed (as the case may be).

Countersigned

(Employer/ Cadre Controlling Authority with seal)

सेवा में,

1. सभी राज्य सरकारों के मुख्य सचिव।
2. राज्य सरकारों के सिंचाई/कृषि विभागों के सचिव।
3. सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम/कृषि विश्वविद्यालय/मान्यताप्राप्त अनुसंधान संस्थान/अर्धी-सरकारी/स्वायत्त सांविधिक निकाय।

विषय: जल संसाधन, नदी विकास और नंगा संरक्षण मंत्रालय में प्रतिनियुक्ति (अल्पकालिक संविदा सहित) के आधार पर वरिष्ठ संयुक्त आयुक्त (कृषि क्षेत्र) का पद भरा जाना।

महोदय,

हमें यह कदम का निदेश हुआ है कि जल संसाधन, नदी विकास और नंगा संरक्षण मंत्रालय, नई दिल्ली में वेतन 13 [पूर्व संशोधित वेतन बैंड-4, 37400-67000 स्तर + 8700 रुपए (ग्रेड वेतन)] के वेतनमान में जीसीएस रान्डू का राजगवित (अनुसंधान) के वरिष्ठ संयुक्त आयुक्त (कृषि क्षेत्र) का एक पद, केन्द्र सरकार अथवा राज्य सरकारों अथवा केन्द्रशासित प्रदेशों अथवा नावलभिक उपक्रमाँ अथवा कृषि विश्वविद्यालयों अथवा मान्यताप्राप्त संस्थानों अथवा अर्धीसरकारी अथवा सांविधिक अथवा स्वायत्त संस्थानों के ऐसे अधिकारियों में से, प्रतिनियुक्ति (अल्पकालिक संविदा सहित) के आधार पर भरा जाना प्रस्तावित है:-

(क) (i) जो मूल संवर्ग अथवा विभाग में नियमित आधार पर सदस्य पद धारण किए हुए हैं ;

अथवा

(ii) मूल संवर्ग अथवा विभाग में ग्रेड में नियुक्ति के बाद 12 [पूर्व संशोधित वेतन बैंड-3, 15600-29100 रुपए + 7600 रुपए (ग्रेड वेतन)] अथवा समतुल्य वेतनमान में 5 वर्ष की नियमित सेवा पूरी की हो ; अथवा

(iii) मूल संवर्ग अथवा विभाग में ग्रेड में नियुक्ति के बाद 11 [पूर्व संशोधित वेतन बैंड-3, 15600-29100 रुपए + 6600 रुपए (ग्रेड वेतन)] अथवा समतुल्य वेतनमान में 10 वर्ष की नियमित सेवा पूरी की हो और

(ख) विम्बोलेखित शैक्षिक योग्यता और अनुभव रखते हों:

- (i) किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से कृषि अभियांत्रिकी अथवा मृदा एवं जल संरक्षण अभियांत्रिकी में डिग्री अथवा कृषि विज्ञान अथवा मृदा विज्ञान में स्नातकोत्तर डिग्री; और
- (ii) राज्य सरकार अथवा केन्द्र सरकार के सिंचाई अथवा कृषि विभाग अथवा किसी मान्यताप्राप्त कृषि विश्वविद्यालय अथवा किसी कृषि संबंधी प्रशिक्षण अथवा अनुसंधान अथवा प्रबंधन संस्थान में स्थिति कृषि और खेत विकास कार्य के जल संरक्षण और प्रबंधन में 12 वर्ष का अनुभव रखते हों।

टिप्पणी 1: केन्द्र सरकार के इसी अथवा किसी अन्य संगठन और विभाग ने इस नियुक्ति से ठीक पहले धारित किसी संवर्ग वाहय पद पर प्रतिनियुक्ति की अवधि (अल्पकालिक संविदा सहित) सामान्यतः 5 (पांच) वर्ष से अधिक नहीं होगी।

टिप्पणी 2: प्रतिनिधिमूलित (अल्पसंख्यक सदस्यता सहित) पर नियुक्ति के लिए अधिकतम आयु सीमा आवेदन प्रेषित करने की तिथि पर लागू रहे 56 वर्ष से अधिक नहीं होगी।

टिप्पणी 3: प्रतिनिधिमूलित के आधार पर नियुक्ति के लिए किसी अधिकारी द्वारा 01 जनवरी, 2006 से पूर्व अथवा उन्हें केन्द्रीय सेवा आवेदन की तिथि तिथि के आधार पर लागू संबंधित वेतन स्तर की तारीख से नियमित आधार पर की गई सेवा का, जहाँ संशोधन पूर्व एक या अधिक वेतनमान का एक साल का वेतन अथवा वेतनमान में गिरा दिया गया है और जहाँ यह बात केवल उस पद (पदों) के लिए दिया जाएगा जिन्हें लिए वेतन वेतन अथवा वेतनमान, बिना किसी वृद्धि के सामान्य प्रतिस्थापनी श्रेष्ठ होगा, को अंतिम वेतन वेतन अथवा वेतनमान की तिथि तिथि के आधार पर लागू अथवा वेतनमान में की गई सेवा माना जाएगा।

2. चूंकि यह अधिकारी को अपना वेतन वेतन और प्रतिनिधिमूलित (इव्यूटी) अथवा अधिकृत करने अथवा अपना वेतन प्रतिनिधिमूलित के पद के वेतनमान में निहित करवाने का विकल्प होगा, लेकिन यह आवेदन एवं प्रशिक्षण विभाग के दिनांक 17.08.2010 के समान-समान पर तथा संबंधित कार्यालय द्वारा संख्या 878/2009-स्थापना (वेतन-11) में निहित शर्तों के अंतर्गत होगा।

3. अनुसंध है कि इस पद को व्यवस्थापक रूप से परिचालित किया जाए और पात्र अधिकारियों के आवेदन तीन दिनों में (संबंधित अधिकारी द्वारा निर्धारित इस्तफारित) निर्धारित प्रोफार्मा (आवृत्तमानक भाग-1) अथवा-2 सहित प्रयोक्तित अधिकारी द्वारा निर्धारित अथवा अपेक्षित प्रमाणपत्र/दस्तावेजों को संबंधित सम्बन्धित विभाग के प्रकाशन के 80 दिनों के अंदर अधोस्त-स्थायी को अंतिम दिए जाएं। निर्धारित दिनों के बाद अथवा अपेक्षित प्रमाणपत्र और दस्तावेजों के अंदर प्राप्त आवेदनों पर विचार नहीं किया जाएगा।

संलग्नक: दधीकृत।

असोक कोशिक
(ए.के. कोशिक)

अवर सचिव, भारत सरकार
दूरभाष: 23738126

प्रतिनिधि सामान्य कारवाही हेतु प्रेषित:

1. भारत सरकार के सभी मंत्रालय/विभाग
2. जल संसाधन, नदी विकास और गंगा संरक्षण मंत्रालय के सभी सबटाई और अधीनस्थ कार्यालय
3. जल संसाधन, नदी विकास और गंगा संरक्षण मंत्रालय के सभी आयुक्त / उपायुक्त।
4. निदेशक (सी.एस.) का एंड प्रो.विभाग, लोक न्यायक अखिल, खान गाँव, नई दिल्ली - कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग की वेबसाइट पर इस परिपत्र को अपलोड करना हेतु।
5. एन.आई.सी. सेल, जल संसाधन, नदी विकास और गंगा संरक्षण मंत्रालय- मंत्रालय के वेबसाइट पर अपलोड करने हेतु।

असोक कोशिक
(ए.के. कोशिक)

अवर सचिव, भारत सरकार
दूरभाष: 23738126

जीवन-वृत्त प्रपत्र

1.	नाम और पता स्पष्ट उबरी में		
2.	जन्म तिथि (ई-पी सूच में)		
3.	(i) सेवा में प्रवेश की तारीख		
	(ii) केन्द्र/राज्य सरकार जिरानों के तहत सेवासिद्धि की तारीख		
4.	शैक्षिक योग्यता		
5.	क्या आप इस पद के लिए अपेक्षित शैक्षणिक तथा अन्य योग्यताएं रखते हैं। (यदि किसी योग्यता को नियमों में निर्धारित किसी योग्यता के समतुल्य माना गया है तो इसके लिए प्राधिकरण का उल्लेख करें)		
निम्नलिखित परिपत्र में दिए गए उल्लेख के अनुसार अपेक्षित योग्यताएं/अनुभव		अधिकारी की योग्यताएं/अनुभव	
अभेदान		अभिवार्य	
(क) अहेता		(क) अहेता	
(ख) अनुभव		(ख) अनुभव	
व्यक्ति		व्यक्ति	
(क) अहेता		(क) अहेता	
(ख) अनुभव		(ख) अनुभव	
5.1 टिप्पणी: इस कॉलम में परिपत्र के जारी होने और रोजगार समाचार में विज्ञापन प्रकाशित होने के समय प्रशासनिक मंत्रालय/विभाग/कार्यालय द्वारा भर्ती नियमों में उल्लिखित अभिवार्य व्यक्ति अर्हताएं दर्शाने के लिए विस्तार किया जाना चाहिए।			
5.2 डिप्टी और रजिस्ट्रार अहेताओं के संबंध में अभ्यर्थी द्वारा चरमिंत/मुख्य विषय और सहायक			

विषय दर्शाए जाएं।

6. कृपया आप स्वयं द्वारा की गई प्रविष्टियों के संदर्भ में स्पष्ट रूप से उल्लेख करें कि क्या आप पद की जगह पूरी करते हैं।

7. रिपयर्सी अधीक्षक को नियुक्ति पर लेने वाले विभागों का आवेदन पद के संदर्भ में आवेदकों की संगत अधिवर्षी अर्हतावाली अनुभव (जीवनकृत में उल्लिखित) की पुष्टि करने हुए अपनी विशिष्ट रिपयर्सी/विचार देने होंगे।

8. आवश्यकानुसार रोजगार के ब्यौरे (जिसे नीचे दिया गया स्थान अपूर्ण है या अपने हस्ताक्षर द्वारा इसी-वर्षी अधिप्रमाणा अक्षर में एक शीट सततन करें)।

कार्यालय/संगठन का नाम	नियमित आधार पर धारित पद	से	तक	* नियमित आधार पर धारित पद का वेतनबैंड और ग्रेड वेतन/वेतनमान	आवेदन पद के लिए अपेक्षित अनुभव दर्शाते हुए कार्य का स्वरूप (विवरण से)

* महत्वपूर्ण: एसीपी/एसपी के तहत दिया गया वेतनबैंड और ग्रेड वेतन प्रत्येक अधिकारी के लिए अलग-अलग होते हैं, इसलिए इनका उल्लेख नहीं किया जाना चाहिए; केवल नियमित आधार पर धारित पद का वेतनबैंड और ग्रेड वेतन/वेतनमान दर्शाया जाना चाहिए; यदि अधिकारी द्वारा ऐसे लाभ लिए गए हैं या वर्तमान वेतनबैंड और ग्रेड वेतन के साथ एसीपी/एसपी का ब्यौरे निम्नानुसार दर्शाया जाए:

कार्यालय/स्थान	एसीपी/एसपी स्कीम के तहत से	तक
	धारित वेतन, वेतनबैंड और ग्रेड वेतन	

8. वर्तमान नियुक्ति का स्वरूप अर्थात् अर्द्ध अथवा अस्थायी अथवा अर्द्ध स्थाई अथवा स्थाई

9. वर्तमान पद प्रतिनियुक्ति/अनुबंध आधार पर धारित होने के मामले में कृपया उल्लेख करें

(क) क्रमिक (ख) (ग) मूल कार्यालय/संगठन (घ) मूल संगठन में धारित

नियुक्ति तारीख	की प्रतिनियुक्ति: सविधा नियुक्ति की अवधि	का नाम जिससे अनुमती संबंधित है।	उत्प्रेषणीय व्यक्ति का पता और पतेनाम
-------------------	--	------------------------------------	--

9.1 रिपब्लिकी जो अधिकारी पहले से प्रतिनियुक्त पर हैं उनके आगेदल मूल नवयोजितक द्वारा सर्व स्वकीकृत, रातलेका निकरती और रातयनिष्ठा पमाणपत्र के साथ अधोषित किए जाने कहिए।

9.2 रिपब्लिकी उन सभी मामलों में कॉलेज 9 (ग) और (घ) के तहत सूचना दी जाती चाहिए जहां कोई व्यक्ति संबंधसंगठन के बाहर प्रतिनियुक्ति के पद पर है, परन्तु अपन मूल संबंधसंगठन में नियत पर है।

10 यदि पूर्व में अध्यक्षी प्रतिनियुक्ति पर किसी पद पर रहा हो ता अतिम प्रतिनियुक्ति से आगेने को तारीख और अन्य ब्यौरा:

11. यतमान रोजगार के विषय में अतिरिक्त विवरण :
कृपया बताएं कि आप किसके अंतर्गत कार्य कर रहे हैं (सबसे कॉलेज में आपके नियुक्ती का नाम दर्शाएं)

- (क) केन्द्र सरकार
- (ख) राज्य सरकार
- (ग) स्वायत्त संगठन
- (घ) सरकारी उपक्रम
- (ङ) विश्वविद्यालय
- (च) अन्य

12. कृपया बताएं कि क्या आप इसी विभाग में कार्य कर रहे हैं और फिडर वेड में हैं अथवा फिडर वेड के फीडर वेड में हैं

13. क्या आप संशोधित वेतनमान से रहे हैं ? यदि हां, तो संशोधन की तारीख बताएं तथा संशोधन पूर्व वेतनमान का भी उल्लेख करें

14. वर्तमान में आहरित कुल परिलब्धियां

वेतनबैंड में मूल वेतन

वेड वेतन

कुल परिलब्धियां

15. यदि अध्यक्षी ऐसे संगठन से है जो केन्द्र सरकार के वेतनमान का अनुसरण नहीं करता तो निम्नलिखित ब्यौरा दर्शाते हुए संगठन द्वारा जारी नवीनतम वेतन स्थिप संकेत की जाए।

संसाधन और नैतिक (RTE) की
दृष्टि के साथ मूल वेबसाइट

नोट: इसे बताना अनिवार्य है
सहायक न्याय और आरि (विद्यार्थी
स्वयं के साथ)

कुछ परिपत्रिकाएँ

16क. प्रतिनिधित्व सूचना, यदि कोई हो, जिसे आप इस
पत्र के लिए अपनी उपयुक्तता का समर्थन में
जतिवशित करना चाहते हैं।

(इसमें प्रत्येक बालों के साथ-साथ (i) जतिवशित
शैक्षणिक योग्यताओं, (ii) पेशेवर प्रशिक्षण और
(iii) शिक्षित परिवर्तनविज्ञान में निर्धारित कठ्य
अनुभव से अधिक अनुभव के संबंध में सूचना दी
जाए) (टिप्पणी : यदि रवाना अपर्याप्त हो तो
अलग से शीट संलग्न करें)

16ख. उपन्यासिकाएँ

अभ्यर्थियों से निम्न के संबंध में सूचना देने का
अनुरोध किया जाता है:

(i) शोध प्रकाशन और रिपोर्ट तथा विशेष
परिचालनाएँ

(ii) पुरस्कार/छात्रवृत्ति/आधिकारिक प्रशंसा

(iii) पेशेवर शिक्षण/संस्थाओं/सोसाइटियों के साथ
संबंधता और

(iv) स्वयं के नाम पर नज़दीक अथवा संगठन के
लिए प्राप्त किए गए पेटेंट

(v) आधिकारिक सहायक प्राप्त अनुसंधान/ग्रन्थ
उपाय

(टिप्पणी : यदि सहायक अपर्याप्त हो तो अलग से
शीट संलग्न करें)

17. कृपया बताएं कि क्या आप प्रतिनियुक्ति
(सटापीसी/आमेजन/पुनर्नियुक्ति आधार के लिए
आवेदन कर रहे हैं)।* (केन्द्र/राज्य सरकार के
अधिकारी केवल "आमेजन" के लिए पात्र हैं। गैर-
सरकारी संगठनों के अभ्यर्थी केवल अल्पकालीन
संविदा के लिए पात्र हैं।)

'एसटीसी' 'आकलन' 'सुसूचित' के विकल्प सही
 अर्थ में हों यदि रिक्त स्थानों में विशद रूप से उल्लेख
 किया जाए कि इन्हें 'एसटीसी' अथवा 'सामेलन' अथवा
 'सुसूचित' द्वारा की जाएगी।

18. क्या 'सुसूचित' अति-सुसूचित अनादि से
 संबंधित है ?

मैंने रिक्त स्थानों-विज्ञापन को ध्यापूर्वक पढ़ लिया है और मैं इस बात से भली-भांति
 अवगत हूँ कि चयन के समय चयन समिति द्वारा अन्तिम उद्देश्यकार्य अनुभव के संबंध में मेरे
 द्वारा दस्तावेजों के साथ प्रस्तुत जीवन-कृत का भी आकलन किया जाएगा। मेरे द्वारा दी गई
 सूचनाएँ/व्यापक भरी जानकारी के अनुसार सही शेष सत्य है और मेरे चयन से संबंधित कोई महत्वपूर्ण
 तथ्य छिपाया नहीं गया है।

अभ्यर्थितवार के हस्ताक्षर
 पता.....

दिनांक:.....

नियोक्ता/संघर्ष नियंत्रण प्राधिकरण द्वारा प्रस्तुत किये जाने वाला प्रमाणपत्र

अध्यायी द्वारा उपयुक्त आवेदन में दी गई सूचना/व्योरा रिपोर्ट में दिए गए तथ्यों के अनुसार सत्य एवं सही है। उनके पास रिक्ति परिपत्र में उल्लिखित शैक्षणिक योग्यता एवं अनुभव है। इनका चयन होने पर इन्हें अविरोध कार्यमुक्त कर दिया जाएगा।

2. यह भी प्रमाणित किया जाता है कि,

(a) श्री/श्रीमती.....के विरुद्ध कोई सचकांता अथवा अनुशासनात्मक मामला लंबित नहीं है/बताए जाने पर विचार नहीं किया जा रहा है।

(b) उनकी सत्यनिष्ठा प्रमाणित की जाती है।

(c) उनके सीआर कोटिबंद की मूल प्रती संलग्न है/उनकी पिछले पांच वर्षों की एंटीभार की भारत सरकार के अथवा सचिव अथवा उससे ऊपर की श्रेणी के अधिकारी द्वारा यथा सत्यापित छायाप्रतियां संलग्न हैं।

(d) पिछले 10 वर्षों के दौरान उन पर कोई बड़ी/छोटी शक्ति नहीं लगाई गई है अथवा पिछले 10 वर्षों के दौरान उन पर बड़े/छोटे जुर्माने नहीं लगाए गए हैं। (जैसा भी मामला हो)

प्रतिहस्ताक्षरित

(नियोक्ता/संघर्ष नियंत्रण प्राधिकरण की मुहर के साथ)